छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी, 2010 (पौष-22, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) तथा

(2) पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 के संबंध में लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियों तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त लोक सभा सचिवालय का सूचना पत्र पटल पर रखेंगे.

4. जुलाई, 2009 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. जुलाई, 2009 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2009 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, नंदकुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, राजधानी रायपुर के पण्डरी कपड़ा मार्केट में कपड़ा व्यावसायी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू बीमारी के उपचार हेतु मूलभूत सुविधा का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24, मरवाही से निर्वाचित सदस्य, श्री अजीत जोगी को जनवरी -मार्च, 2010 सत्र में दिनांक 11 जनवरी से 15 जनवरी, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25, कोटा से निर्वाचित सदस्य, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी को जनवरी -मार्च, 2010 सत्र में दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

निर्धारित समय

10. संकल्प

10 मिनट

श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह कि, यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (घ) की व्याप्ति के अन्तर्गत आता है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित है ।"

11. वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43,44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 57, 64, 66, 67, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार, तीन सौ उनतालीस करोड़, इक्यावन लाख, उनतीस हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 (क्रमांक- 1 सन् 2010) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर

दिनांक 11 जनवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.